निर्णय बइजलास श्री मुनिदेव यादव (आर.ए.एस.) उपखण्ड अधिकारी मनोहरथाना जिला झालावाड

प्रकरण संख्या :110/दावा/2020

तारीख दायरा: 02.09.2020

उनवान

रामकल्याण पिता पन्नालाल जाति लोधा निवासी कोलूखेडी मेवातियान तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड (राज0)

—वादी

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार तहसील मनोहरथाना जिला झालावाड(राज0)

— प्रतिवादी

वाद अन्तर्गत धारा 136 एल.आर.एक्ट

उपस्थिति :— श्री अशोक कुमार अधिवक्ता (वादी)
एक पक्षीय (प्रतिवादी)

निर्णय दिनांक: 28.10.2020

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार है कि वादी ने जरिये अधिवक्ता वाद अर्न्तगत धारा 136 एल.आर.एक्ट इस आशय का प्रस्तुत किया है कि —

ग्राम कोलूखेडी मेवातियान पटवार हल्का शोरती तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 23 पुरानी 81 की खसरा संख्या 225 की 5.00 बीघा, आराजी वादी एवं सहखातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज है।

यह कि ग्राम कोलूखेडी मेवातियान पटवार हल्का शोरती तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 24 पुरानी 80 की कुल किता 8 की 12.10 बीघा, आराजी वादी एवं सहखातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज है।

यह कि ग्राम कोलूखेडी मेवातियान पटवार हल्का शोरती तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 51 पुरानी 50 की कुल किता 2 की 7.10 बीघा, आराजी वादी एवं सहखातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज है।

यह कि ग्राम कोलूखेडी मेवातियान पटवार हल्का शोरती तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 166 पुरानी 163 की खसरा संख्या 474/142 की 0.01 बीघा, आराजी वादी एवं सहखातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज है।

यह कि ग्राम अर्जुनपुरा पटवार हल्का शोरती तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 189 पुरानी 9 की कुल किता 3 की 8.00 बीघा, आराजी वादी एवं सहखातेदारान के शामलाती खाते में दर्ज है।

उक्त वर्णित आराजी में वादी का नाम कल्याण पिता पन्नालाल दर्ज हो रहा है जो गलत व त्रुटीवश दर्ज हो गया है, जबकि वादी का वास्तविक नाम रामकल्याण पिता पन्नालाल है, जो सही एव सत्य है, एवं अन्य सरकारी दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, परिवार राशन कार्ड, आयकर विभाग, जन आधार कार्ड, बैंक डायरी में भी वादी का नाम रामकल्याण पिता पन्नालाल दर्ज हो रहा है। इसलिये वादी उपरोक्त वर्णित आराजी में दर्ज नाम कल्याण पिता पन्नालाल को दुरुस्त करवाकर उसके स्थान पर रामकल्याण पिता पन्नालाल दर्ज करवाना चाहता है।

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड

Scanned with CamScanner

यह कि उपरोक्त वर्णित आराजी में वादी का नाम कल्याण दर्ज होने के कारण किसान कार्ड बनवाने व अन्य सरकारी लाभ प्राप्त करने में परेशानी आ रही है। वादी द्वारा खातो में नाम दुरूस्त करवाने हेतु प्रतिवादी के यहॉ कई बार आवेदन किया ,किन्तु कोई सुनवाई नही की अन्तिम बार दिनांक 04.08.2020 को आवेदन करने पर कोई कार्यवाही नही करने से वाद हेतु उत्पन्न हुआ है। अतः वादी का उपरोक्त वर्णित आराजी में दर्ज नाम कल्याण पिता पन्ना को दुरूस्त कर उसके स्थान पर रामकल्याण पिता पन्नालाल किया जावे व राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद फरमाया जावे।

वाद को दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन तलब किया गया। बावजूद सूचना प्रतिवादी अनुपस्थित रहने से इनके विरूद्ध एक पक्षीय कार्यवाही अमल में लाई गई, तथा वादी को साक्ष्य प्रस्तुत करने का अवसर प्रदान किया। वादी की ओर से साक्ष्य में स्वयं का शपथ पत्र, एवं गवाह परमानन्द, व बद्रीलाल का शपथ पत्र प्रस्तुत किया। बहस विद्वान अभिभाषक एक पक्षीय सुनी गई। तथा संबंधित पटवारी हल्का शोरती की उक्त प्रकरण में रिपोर्ट ली गई।

पत्रावली का अवलोकन किया गया। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज नकल जमाबन्दी ग्राम कोलूखेडी मेवातियान पटवार हल्का शोरती तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 23 पुरानी 81 की खसरा संख्या 225 की 5.00 बीघा, खाता संख्या नया 24 पुरानी 80 की कुल किता 8 की 12.10 बीघा, खाता संख्या नया 51 पुरानी 50 की कुल किता 2 की 7.10 बीघा, खाता संख्या नया 166 पुरानी 163 की खसरा संख्या 474/142 की 0.01 बीघा, एवं ग्राम अर्जुनपुरा पटवार हल्का शोरती तहसील मनोहरथाना के माल की खाता संख्या नया 189 पुरानी 9 की कुल किता 3 की 8.00 बीघा, आराजी वादी एवं अन्य सहखातेदारान के शामलाती खाते दर्ज है। उपरोक्त वर्णित आराजी ग्राम कोलूखेडी मेवातियान में वादी का नाम कल्याण पिता पन्ना व ग्राम अर्जुनपुरा की आराजी में वादी का नाम कल्याण पिता पन्नालाल दर्ज रेकार्ड होना पाया गया। वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड, पैन कार्ड, जन आधार कार्ड, बैंक डायरी की प्रति में वादी का नाम रामकल्याण पिता पन्नालाल होना पाया गया। साक्ष्य एवं रिपोर्ट पटवारी के अनुसार वादी का नाम कल्याण के स्थान पर रामकल्याण किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वादी द्वारा अपने वाद की पुष्टि में प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वाद वादी स्वीकार किया जाने योग्य प्रतीत होता है।

अतः वाद वादी स्वीकार किया जाकर आदेश दिया जाता है कि ग्राम कोलूखेडी मेवातियान पटवार हल्का शोरती तहसील मनोहरथाना के खाता सं0 नया 23 पुराना 81, खाता सं0 नया 24 पुराना 80, खाता सं0 नया 51 पुराना 50 एवं खाता सं0 नया 166 पुराना 163 तथा ग्राम अर्जुनपुरा के खाता सं0 नया 189 पुराना 9 में वादी का दर्ज नाम कल्याण पिता पन्ना को दुरूस्त किया जाकर उसके स्थान पर रामकल्याण पिता पन्नालाल दर्ज किया जावें एवं राजस्व रेकार्ड में अमल दरामद किया जावे। फर्द डिक्री जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो।

यह निर्णय आज दिनांक 28.10.2020 को खुले न्यायालय में लिखाया जाकर सुनाया गया।

(मुनिदेव यादव)
उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना

उपखण्ड अधिकारी
मनोहरथाना, जिला झालावाड

Scanned with CamScanner